गुजरात में सिंचाई परियोजनायें

689. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विभिन्न स्रोतों से सिंचाई और पीने के लिए जल प्राप्त करने हेतु अल्पकालीन और दीर्घकालीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को मंजूरी देने में कोई रुकावट है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) सौराष्ट्र के गांवों में पानी की कमी की समस्या को कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) केन्द्र में प्राप्त हुई गुजरात की नयी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है **(नीचे देखिये)** लघु सिंचाई परियोजनाओं को राज्यों द्वारा स्वयं अनुमोदित किया जाता है तथा उनका ब्यौरा केन्द्र में नहीं रखा जाता है ।

(ङ) गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली 2 वृहद और 53 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को मार्च, 1992 तक पूरा कर दिया गया है । एक वृहद 13 मध्यम तथा 7 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण निर्माणाधीन परियोजनाएं भी सौराष्ट्र क्षेत्र को लाभपहुंचाती हैं । एक वृहद (सरदार सरोवर) तथा एक विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण (लवणता प्रदेश को रोकना) जो आठवीं योजना से आगे जायेगी के अलावा, इन सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को आठवीं योजना के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है ।

विवरण

केन्द्र में प्राप्त हुई गुजरात की नयी वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	लाभ (हैक्टयर)	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5
	वृहद परियोजनायें :			
1	**मच्छू–I** सिंचाई का आधुनिकीकरण	8.12	2140 (अतिरिक्त)	इस परियोजना को 8/93 में परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया है । राज्य सरकार को पर्यावरणी स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा अपने वित्त विभाग की सहमति भेजनी है ।
2	वालकबोरी बीयर पर फ्लूज द्वार	8.58	40,000	इस परियोजना को 8/93 में परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया है । राज्य सरकार को परामर्शदात्री समिति की टिप्पणियों की अनुपालन करनी है ।

1	2	3	4	5
	मध्य परियोजनायें :			
1	चंद–II	27.09	4250	राज्य सरकार को परियोजना के विभिन्न मुद्दों जैसे जल वैज्ञानिक, सिंचाई, आयोजना तथा लागत अनुमानों को हल करना है ।
2	गोगा	31.69	6210	राज्य सरकार को परियोजना के विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को अंतिम रूप देना है तथा वन स्वीकृति प्राप्त करनी है ।
3	वालान	22.34	7380	राज्य सरकार को वन स्वीकृति प्राप्त करना, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करना, फसल पद्धति को पुनरीक्षा करना तथा आयोजना अध्ययनों को अंतिम रूप देना है ।
4	ओलद–II	59.79	7969	राज्य सरकार को लागत-लाभ पहलुओं की पुनरीक्षा करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।
5	लम्बदी–भोग्या–II	21.96	3610	राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मदों को हल करना है ।
6	मिट्टी का पुनरूद्धार	14.51	2030	–वही–
7	महापाडा	25.74	2340	–वही–
8	बरतू–II	24.18	6150	–वही–

टिप्पण :— परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा वन/पर्यावरण/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाओं, जैसी भी स्थिति हो की स्वीकृति प्राप्त करती है ।

Command Area Development Programme

690. SHRI T. VENKATRAM REDDY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Command Area Development Programme is being implemented properly in the country;

(b) if not, the reasons therefore;

(c) whether it is also a fact that the funds earmarked for the programme are being diverted to other programmes by the State Governments;

(d) if so, the steps taken by the Central Government in this regard;

(e) whether any specific mechanism has been evolved by the Central